यालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, धोद, मु. सीकर

जीवणी देवी बनाम भागीरथमल

मुकदमा 212 RTA मु. नं. 48 वर्ष 17

दिनांक	आज्ञा-पत्र	
1/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] उपस्थित। पत्रावली वास्ते [illegible] तलबी रिपोर्ट दिनांक 19-11.25 को पेश हो।	
19/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप.। पत्रावली वास्ते जवाब / तलबी रिपोर्ट दि० 15/12/25 को पेश हो।	
15/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] उप. प्रतिवादीगण 3,4, 12 [illegible] विधिवत तामील [illegible] में तामील पूर्ण हो चुकी है [illegible] अनुपस्थित। अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। शेष प्रति. 8 ता 10, 13 ता 16 तलब [illegible] नहीं किया [illegible] के जवाब [illegible] की [illegible] पत्रावली वास्ते [illegible] TR दिनांक 24/12/25 को पेश हो।	
24/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] के [illegible] पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 2/1/26 को पेश हो।	
2/1/26	पत्रावली पेश हुई। [illegible] पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी / वादी का दावा अंतर्गत धारा 212 RTA, 1955 [illegible] [illegible] के [illegible] धारित 4 [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2026.01.06 12:12:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, धोद, मु

बनाम

किस्म मुकद्दमा ______ मु. नं. ______ वर्ष ______

दिनांक	आज्ञा-पत्र
	[illegible] [illegible] [illegible] उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला-सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2026.01.06 12:12:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र/48/2017

01. जीवणी देवी बेवाह बजरंगलाल
02. शंकरलाल पुत्र बजरंगलाल
03. मोहनलाल पुत्र डालूराम
04. रामूराम पुत्र डालूराम
    समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम नागवा तहसील धोद जिला सीकर

– प्रार्थीगण/वादीगण

बनाम

01. भागीरथ पुत्र पेमाराम
02. सुल्तान पुत्र पेमाराम
03. रामप्यारी पुत्री पेमाराम
04. विमला पुत्री पेमाराम
05. मोटाराम पुत्र डालूराम
06. छोटी देवी पुत्री बजरंगलाल
07. घीसा देवी पुत्री बजरंगलाल
08. रता देवी पुत्री बजरंगलाल
    समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम नागवा तहसील धोद जिला सीकर
09. झूमा देवी पुत्री डालूराम पत्नी सूरजभान जाति जाट निवासी श्यामपुरा पूर्वी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
10. गिरधारी पुत्र भंवरी देवी पुत्री डालूराम पत्नी मोहन जाति जाट निवासी आंतरी हाल तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर
11. गीता देवी पुत्री भंवरी देवी पुत्री डालूराम पत्नी मोहन जाति जाट निवासी आंतरी हाल तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर
12. मन्शाराम पुत्र नानू देवी पत्नी हीरालाल
13. प्रभू पुत्र नानू देवी पत्नी हीरालाल
14. भंवरी देवी पुत्री नानू देवी पत्नी हीरालाल
15. सोहनी देवी पुत्री नानू देवी पत्नी हीरालाल
16. किस्तुरी देवी पुत्री नानू देवी पत्नी हीरालाल
    समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम रामपुरा हाल तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर
17. पटवारी हल्का, नागवा तहसील धोद जिला सीकर
18. उपपंजीयक महोदय धोद तहसील धोद जिला सीकर
19. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, धोद तहसील धोद जिला सीकर बहैसियत भूमिधारी

– अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

आवेदन बाबत [illegible] प्रसारणार्थ
अन्तर्गत धारा 212 राज[illegible]तकारी अधिनियम, 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2026.01.06 12:12:13 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]

दिनांक– **02.01.2026**

आवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से [illegible] कि "प्रार्थीगण ने उपरोक्त अनुवानी वाद माननीय न्यायालय में बहुत ही ठोस आधारों पर प्रस्तुत किया है, जिसमें सफलता की पूरी–पूरी उम्मीद है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद * जिला-सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

विवादित आराजी खसरा सं. 212 रकबा 7.8300 हेक्टेयर, खसरा सं. 213 रकबा 1.7900 हेक्टेयर, खसरा सं. 219 रकबा 1.2100 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 10.8300 हेक्टेयर वाके ग्राम नागवा तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित है, जिनके गत खसरा सं. 105 मीन रकबा 32 बीघा 17 बिस्वा, खसरा सं. 110 रकबा 10 बिस्वा, खसरा सं. 111 रकबा एक बीघा, खसरा सं. 113 रकबा सात बिस्वा है। उक्त वर्णित आराजियात प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की पैतृक आराजियात है, जो उन्हें उनके पूर्वज डालूराम से प्राप्त भूमियां है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का सजरा खानदान निम्नानुसार है–

प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1, 2 व 5, 6, 7 का उक्त वर्णित विवादित आराजियात में निम्न प्रकार हक हिस्सा है–

प्रार्थीगण सं. 1, 2 व अप्रार्थीगण सं. 6 व 7 का	1/5 भाग
प्रार्थी सं. 3 मोहनलाल का	1/5 भाग
प्रार्थी सं. 4 रामूराम का	1/5 भाग
अप्रार्थी सं. 1 व 2 का	1/5 भाग
अप्रार्थी सं. 5 मोटाराम का	1/5 भाग

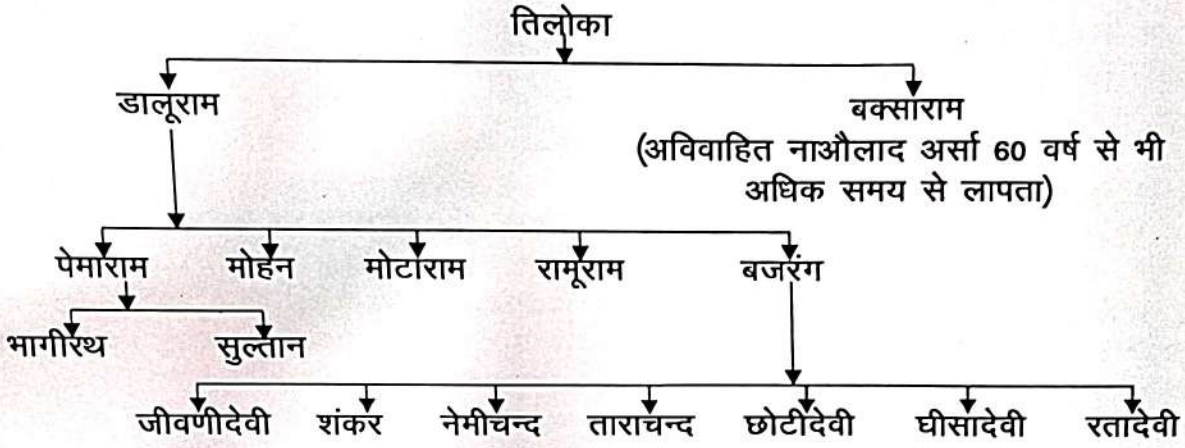

उक्त वर्णित आराजियात खसरा सं. 212, 213 का प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1, 2, 5, 6, 7 ने आपसी सहमति से डालूराम के जीवनकाल में ही अर्थात् अर्सा 35 वर्ष पूर्व ही बंटवारा कर लिया था। जो इस प्रकार से है– प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 6 व 7 के बाहमी बंटवारे के अनुसार भूमि खसरा सं. 212 रकबा 7.8300 हेक्टेयर में से उत्तरी–पूर्वी कोने की भूमि काश्त करते आ रहे है व खसरा सं. 213 व 212 की सीमा के करीब से स्थित रास्ते के सहारे स्थित पूर्वी साईड में अपनी पुख्ता आवासीय गुवाड़ी बना रखी है, जिसमें अपना पशुधन रखते है व मय परिवार आवास–निवास करते आ रहे है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 6 व 7 के दक्षिणी तरफ अर्थात् खसरा सं. 212 के दक्षिणी–पूर्वी हिस्से में प्रार्थी सं. 3 मोहन ने आवासीय पुख्ता गुवाड़ी बना रखी है व अपना पशुधन रखते है व मय परिवार उसमें आवास निवास करते आ रहे है तथा खसरा सं. 212 के दक्षिणी पश्चिमी साईड की भूमि अप्रार्थी सं. 5 मोटाराम काश्त करता है व अपना आवासीय मकान बनाकर मय परिवार आबाद है व उससे उत्तरी तरफ प्रार्थी सं. 4 रामूराम काबिज है व अपना आवासीय मकान बनाकर आबाद चला आ रहा है व रामूराम के उत्तरी तरफ खसरा सं. 213 में अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 काबिज है व अपनी आवासीय गुवाड़ी बना[illegible] व आबाद चले आ रहे है तथा सिंचाई हेतु पूर्व में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वज डालूराम [illegible] का निर्माण किया हुआ था व कुए में पानी सूख जाने पर अब कुए से थोड़ा [illegible] प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1, 2 व 5, 6, 7 का 1/5, 1/5 हक हिस्से की लागत व [illegible] लगाकर अर्सा 16 वर्ष से बना रखा है व विद्युत संबंध डालूराम के नाम से चला आ रहा है। सभी सहकृषकगण ने अपनी भूमि की सिंचाई हेतु प्लास्टिक की अण्डरग्राउण्ड पाईप लाईन डाल रख[illegible] व बराबर अपनी दोनो फसले काश्त करते आ रहे है तथा विद्युत बिल भी पांचो हिस्से के अनुसार ही बराबर–बराबर अदा करते आ रहे है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2026.01.06 12:12:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

अप्रार्थी सं. 5 मोटाराम को छोड़कर सभी ने अपने अपने आवासीय मकानो में भी घरेलू विद्युत संबंध अलग–अलग ले रखे है तथा अपने अपने हिस्से में आयी भूमि के नींव–सींव डोल कायम कर रखी है। उक्त वर्णित आराजी खसरा सं. 219 रकबा 1.2100 हेक्टेयर का भी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं 1, 2, 5, 6, 7 ने आपसी सहमति से अपने पूर्वज डालूराम के जीवनकाल में ही अर्सा 35 वर्ष पूर्व बाहमी बंटवारा कर लिया था व बाहमी बंटवारे के अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 6 व 7 दक्षिणी–पूर्वी साईड में रामूराम, प्रार्थी सं. 4 के हिस्से को छोड़कर 1/5 भाग पर काबिज है व रामू प्रार्थी सं. 4 दक्षिणी–पूर्वी साईड पर काबिज है व मोहन प्रार्थी सं. 3 दक्षिणी–पश्चिमी साईड पर काबिज है तथा मोहन से दक्षिणी तरफ अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 काबिज है तथा उनसे उत्तरी तरफ अप्रार्थी सं. 5 मोटाराम काबिज है। उक्त आराजियात बारानी भूमि है, जो एक फसली है। वर्षाजनित फसल काश्त की जाती है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1, 2, 5, 6, 7 ने अपने–अपने हिस्सेनुसार बाजरा, मूंग, मोंठ, ग्वार की फसल काश्त कर रखी है तथा अपनी भूमि के सींव–नींव बना रखी है। उक्त वर्णित आराजियात पर डालूराम व बक्सा काबिज काश्त थे व कब्जा काश्त के आधार पर ही उन्हे धारा 19 राजस्थान टिनेंसी एक्ट के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। लेकिन बक्सा पुत्र तिलोका अर्सा 60 वर्ष पूर्व करीब 30–32 वर्ष की उम्र में ही घर से निकल गया था व फिर लौटकर नहीं आया। बक्सा ने न तो विवाह किया न ही उसने अपने जीवनकाल में कभी भी किसी को गोद ही लिया। बक्सा के अर्सा 60 वर्ष पूर्व लापता हो जाने के बाद उक्त संपूर्ण रकबा पर डालूराम ही काबिज काश्त चलता आया है व इसी आशय के खसरा गिरदावरी इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में चले आ रहे है व डालूराम को ही उक्त संपूर्ण रकबे पर खातेदारी अधिकार कब्जे के आधार पर एवं बक्सा का सगा भाई होने से उसे प्राप्त हुए। डालूराम के जीवनकाल में ही अर्सा 35 वर्ष पूर्व ही प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1, 2 व 5, 6, 7 के आपसी सहमति से विभाजन कर वाद में वर्णित हिस्से के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1, 2 व 5, 6, 7 का पूर्वज डालूराम अनपढ भोला ढाला ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति था व उसका पुत्र पेमाराम पढा लिखा व चतुर व चालाक किस्म का व्यक्ति था, जो ही परिवार के सारे कार्य कर्ताखानदान की हैसियत से करता था। जिसने राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से अथवा पटवारी हल्का से साजकर सम्वत् 2020–2023 की जमाबंदी में बिना नामान्तरकरण व बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के ही बक्सा का अपने आपको पुत्र बताकर जमाबंदी में नाम अंकित करवा लिया। जबकि न तो बक्सा ने उसे गोद लिया था न ही वह बक्सा का दत्तक पुत्र ही रहा है तथा न ही वह विवादित आराजियात पर 1/5 भाग से अधिक भाग पर कभी काबिज काश्त ही रहा व पेमाराम की मृत्यु पर अप्रार्थी सं. 1 व 2 भी विवादित आराजियात के 1/5 भाग पर ही विरासतन काबिज काश्त चले आ रहे है। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के पिता पेमाराम का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित होने से उसने बिना अधिकार व बिना कब्जा ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर के यहां डालूराम के साथ विभाजन आदेश प्राप्त कर लिया जबकि बक्सा व स्वयं की भूमि पर अकेले डालूराम का ही कब्जा अधिकार था। लेकिन पेमाराम ने गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर उक्त आज्ञा विधि विरूद्ध प्राप्त कर ली। जिससे प्रार्थीगण कतई पाबंद नहीं है तथा न ही उक्त आज्ञा के अनुसार खातेदारी अलग–अलग ही दर्ज हुई है। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के पिता पेमाराम व अप्रार्थी सं. 5 मोटाराम ने आपस में साजिश कर वाद में वर्णित आराजियात के 1/2 भाग में पेमाराम का नाम गलत रूप से अंकित करवा लेने के पश्चात् हाल द्वितीय पैमाइस में अप्रार्थी सं. 5 मोटा ने सर्वथा झूठे तथ्य अंकित कर आवेदन सहायक भू प्रबंध अधिकारी, सीकर को इस आशय का प्रस्तुत किया कि मोटाराम पुत्र बक्सा का विवादित आराजियात में नाम अंकित नहीं है। जबकि वह पेमाराम का सगा छोटा भाई है जबकि मोटाराम न तो बक्सा का पुत्र है न ही वह दत्तक पुत्र ही है। जबकि मोटाराम डालूराम का जायज [illegible] जिसे सर्वथा गलत रूप से बक्साराम का पुत्र बताया है। सर्वथा गलत व झूठे तथ्य अंकित कर [illegible] सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, सीकर के यहां प्रस्तुत किया व सहायक भू प्रबंध अधिकारी [illegible] ने बिना किसी प्रकार की जांच किए व विवादित आराजियात का मौका [illegible] किए ही तथा खातेदारी अधिकार देने का उन्हे अधिकार न होते [illegible] का मोटाराम को छोटा भाई व बक्सा का लड़का मानते हुए उसके हक में 1/4 भाग की खातेदारी विधिविरूद्ध रूप से दर्ज किए जाने की आज्ञा पारित कर दी। जो क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के बाहर होने से खातेदारी रहने योग्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2026.01.06 12:12:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

अप्रार्थीगण सं. 1, 2, 5 व 8 ता 18 के हक में विवादित आराजियात की खातेदारी गलत रूप से अंकित होने से उनके मन में प्रार्थीगण के विरूद्ध बेईमानी आ गयी है व दिनांक 09.07.2017 को प्रतिवादी सं. 1 व 2 तथा 5 व अन्य ने विवादित आराजियात की सीमा पर स्थित रास्ते में दो–तीन अजनबी व्यक्तियों के साथ आये व विवादित आराजियात की ओर इशारे कर कर दिखाने लगे। जिस पर प्रार्थी सं. 4 वही अपनी भूमि में कृषि कार्य कर रहा था। उनके पास चला गया व उनसे इस प्रकार इशारे करने का प्रयोजन पूछा तो उन्होंने कहा कि विवादित आराजियात की खातेदारी उनके नाम से अधिक अंकित है, जिसे वे लोग बय, रहन करके रहेगे। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के जोर–जोर से बोलने की आवाज सुनकर आस–पड़ौस के काफी लोग आ गये जिस पर समझाने से वे लोग बड़ी मुश्किल से माने व जाते–जाते एलानियां धमकी दी कि वे लोग विवादित आराजियात पर से प्रार्थीगण को बेदखल कर जबरन कब्जा करेंगे व विवादित आराजियात विक्रय, रहन व अन्य तरीके से स्थानान्तरित करके छोड़ेगे। जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि अप्रार्थीगण अपने इस कुउद्देश्य में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण की असीम क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति की जाना कतई संभव नही होगी। अतः उन्हे जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण का मामला प्रथम दृष्ट्या मजबूत है व सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी उनके पक्ष में है। आवेदन उचित न्याय शुल्क पर सादर पेश है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को तादौराने दावा पाबंद फरमाया जावें कि वे विवादित आराजियात खसरा सं. 212 रकबा 7.8300 हेक्टेयर, खसरा सं. 213 रकबा 1.7900 हेक्टेयर, खसरा सं. 219 रकबा 1.2100 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 10.8300 हेक्टेयर वाके ग्राम नागवा तहसील धोद जिला सीकर से प्रार्थीगण को बेदखल कर जबरन कब्जा करने, विवादित आराजियात को विक्रय रहन व अन्य तरीके से स्थानान्तरित करने से बाज रहे व राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।"

आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 3, 4, 12, 17 ता 19 पर विधिवत तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से पूर्ण होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर उक्त के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण सं. 6 ता 11, 13 ता 16 की ओर से श्री विजयकुमार शर्मा, एड. ने वकालतनामा पेश किया, परन्तु जवाब पेश नहीं करने पर उक्त की जवाबदेही बंद की गई। अप्रार्थीगण सं. 1, 2 व 5 की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार मातवा, एड. ने वकालतनामा पेश कर विशेष कथन सहित मदवार जवाब पेश किया, जिसमें सारतः उल्लेखित किया गया कि "मद सं. 1 में वर्णित उक्त दावा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने का तथ्य स्वीकार है, लेकिन प्रस्तुत वाद मे वादीगण/प्रार्थीगण का वाद में सफलता की आशा करना दुराशा मात्र है। मद सं. 2 आवेदन में वर्णित कृषि भूमियां ग्राम नागवा तहसील धोद जिला सीकर के तन मे अवस्थित होने का कथन सही होने से स्वीकार है। मद सं. 3 आवेदन जिस प्रकार तहरीर है, गलत होने से अस्वीकार है। मद सं. 4 मे वर्णित सजरा खानदान गलत अंकित किया गया है। बक्साराम के दो पुत्र पेमाराम व मोटाराम थे और डालूराम के मोहन, रामू व बजरंग तथा डालूराम के पुत्रीयां भी थी, जिन्हें भी जानबूझकर सजरा खानदान में अंकित नही किया गया है। प्रार्थी जवाबदातागण बक्साराम के वारिसान है, मोटाराम, डालूराम के वारिस नहीं है। मद सं. 5 गलत होने से अस्वीकार है। क्योंकि विवादित कृषि भूमियों में 1/2 हिस्सा अप्रार्थी सं. 1, 2 व 5 का है और शेष 1/2 हिस्सा अन्य अप्रार्थीगण का है और राजस्व रिकार्ड में भी अप्रार्थी सं. 1, 2 व 5 का 1/2 हिस्सा काफी समय से अंकित चला आ रहा है। नामान्तरकरण सं. 1294 में अप्रार्थी सं. 1, 2 व 5 का नाम गलत रूप से डालूराम का वारिस बताकर अंकित किया है। जबकि अप्रार्थी सं. 1, 2 व 5 का उक्त भूमियों में [illegible] के वारिसान है, प्रार्थीगण ने प्रार्थी जवाबदातागण की भूमि हड़पने के लिये गलत [illegible] से [illegible] पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। मद सं. 6 आवेदन पत्र जिस प्रकार तहरीर है, गलत होने से अस्वीकार है। मद हाजा में गलत तथ्य अंकित किये गये है। मौके पर अप्रार्थी [illegible] 2 व 5 का उत्तरी तरफ का 1/2 हिस्सा बंटवारे मे आया है और वहीं पर प्रार्थी जवाबदातागण काबिज रहकर काश्त कर रहे है तथा ट्यूबवेल में प्रार्थी/जवाबदातागण का 1/2 हिस्सा है और [illegible] अनुसार ट्यूबवेल के विद्युत कनैक्शन का प्रार्थी/जवाबदातागण उपयोग उपभोग कर रहे है। मद सं. 7 जिस प्रकार तहरीर है, गलत होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2026.01.06 12:12:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

अस्वीकार है। विवादित कृषि भूमियों के 1/2 भाग के खातेदार तथा उत्तरी तरफ काबिज रहकर काश्त कर रहे है। उक्त बंटवारा प्रार्थी/जवाबदातागण ने काफी वर्षों पूर्व ही डालूराम के जीवनकाल में ही कर लिया था, शेष 1/2 हिस्से की भूमि प्रार्थीगण तथा शेष प्रतिप्रार्थीगण के हिस्से में आयी हुई है। मद सं. 8 जिस प्रकार तहरीर है, गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी/जवाबदातागण अप्रार्थी सं. 1 व 2 का पिता पेमाराम व अप्रार्थी सं. 5 मोटाराम बक्साराम के पुत्र है। बक्साराम का अविवाहित घर से निकल जाने का कथन बेबुनियाद व झूंठा है। विवादित कृषि भूमियों के सम्पूर्ण रकबे पर डालूराम कभी भी काबिज नहीं रहा है और मौके पर डालूराम शुरू से ही अपनी 1/2 भू-भाग पर काबिज रहा है। प्रार्थी/जवाबदातागण अप्रार्थी सं. 1, 2 व 5 का अपने 1/2 हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण ने प्रार्थी जवाबदातागण की भूमि हड़पने के लिये यह झूंठा दावा पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। मद सं. 9 आवेदन जिस प्रकार तहरीर है, गलत होने से अस्वीकार है। पेमाराम कोई चालाक किस्म का व्यक्ति नहीं था बल्कि पेमाराम का डालूराम से कोई लेना-देना नहीं था। डालूराम ही अपने परिवार का कर्ताखानदान था। बक्सा का पुत्र पेमाराम ने बिना कोई सांठ-गांठ किये बक्सा की भूमियां प्राप्त की है और बाद में उक्त भूमि में मोटाराम का नाम भी अंकित करवा लिया। अगर यदि पेमा व मोटा बक्सा के पुत्र नहीं होते तो बक्सा की भूमियों की खातेदारी पेमा व मोटा को ही क्यों मिलती। लेकिन प्रार्थीगण अप्रार्थीगण सं. 1, 2 व 5 की भूमियां हड़पना चाहते है। इसलिये यह झूंठा दावा पेश किया है। मद सं. 10 आवेदन गलत होने से अस्वीकार है। पेमाराम का नाम राजस्व रिकार्ड में सही अंकित था। इसलिए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर मे विभाजन आदेश प्राप्त किया था, जिसे प्रार्थीगण ने आज तक किसी न्यायालय मे चुनौती नहीं दी है। मद सं. 11 आवेदन जिस प्रकार तहरीर है, गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पिता ने सहमति से अप्रार्थी सं. 5 का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित करवाया है, जिसे चुनौती देने का प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पिता व अप्रार्थी सं. 5 बक्सा के पुत्र होने से बक्सा की भूमियां प्राप्त की है और मौके पर विवादित कृषि भूमियों के 1/2 हिस्से पर काबिज रहकर काश्त कर रहे है, जिसे चुनौती देने का प्रार्थीगण व अन्य प्रतिप्रार्थीगण को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। मद सं. 12 आवेदन जिस प्रकार तहरीर है, गलत होने से अस्वीकार है। मद हाजा में सम्पूर्ण तथ्य गलत अंकित किये गये है। अप्रार्थी सं. 1, 2 व 5 को अपने हक, हिस्से की भूमि प्राप्त करनी है। डालूराम की भूमियों से अप्रार्थी सं. 1, 2 व 5 का कोई संबंध सरोकार नहीं है और न ही प्रार्थीगण को कोई वाद कारण प्राप्त हुआ है। डालूराम की जमीन में प्रार्थीगण ने कतई गलत रूप से अप्रार्थी सं. 1, 2 व 5 का नाम अंकित करवाया है। मद सं. 13 में मामला प्रथम दृष्ट्या, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति का मामला प्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण/जवाबदातागण के पक्ष में है। इसलिए प्रस्तुत आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। मद सं. 14 कानूनी होने से जवाब मोहताज नहीं है। <u>विशेष कथन-</u> प्रार्थीगण ने गलत रूप से बक्साराम को अविवाहित बताकर गलत सजरा खानदान पेश कर झूंठे तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है, जबकि पेमाराम व मोटाराम बक्साराम के पुत्र है मोटाराम के मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज मे पिता का नाम बक्साराम ही दर्ज है, बक्साराम की मृत्यु काफी वर्ष पूर्व ही हो गयी थी तो बक्साराम के स्थान पर खातेदारी उसके बड़े पुत्र पेमाराम के नाम दर्ज हो गयी और बाद मे खातेदारी पेमाराम व मोटाराम दोनों के नाम दर्ज करवाली। इस प्रकार प्रार्थी/जवाबदातागण बक्साराम के 1/2 हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। जब प्रार्थीगण का दावा ही चलने योग्य नहीं है तो आवेदन चलने का कोई औचित्य नहीं है। वादग्रस्त भूमियों के संबंध में प्रार्थीगण के पूर्वज बजरंगलाल ने पूर्व मे न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम के यहां एक दावा व आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा अनुवानी बजरंगलाल बनाम भागीरथ आदि दावा सं. 90/2005 पेश किया था, जिसे सहायक कलेक्टर प्रथम, सीकर द्वारा दिनांक 22.04.2010 को खारिज कर दिया गया, जिसके विरुद्ध आज तक किसी भी न्यायालय में न तो कोई अपील की गयी है और न ही कोई कार्यवाही की गयी है। दिनांक 22.04.2010 का निर्णय अन्तिम निर्णय है। इसलिए प्रार्थीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। जब प्रार्थीगण का दावा ही चलने योग्य नहीं है तो आवेदन चलने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थीगण का

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2026.01.06 12:12:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला-सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

वाद अवधि अधिनियम के प्रावधानों के विपरित मियाद बाहर पेश किया गया है। इसलिए वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।"

बहस उभयपक्ष से सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र के कथनों को दोहराकर दोहराकर प्रार्थीगण के हस्तगत आवेदन को स्वीकार करने का निवेदन किया। प्रत्युत्तर में वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब आवेदन के कथनों को दोहराकर प्रार्थी का हस्तगत आवेदन को खारिज करने का निवेदन किया।

हमने बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली, आवेदन एवं सभी दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन में तीन बिंदुओं का विवेचन आवश्यक है–

(A) प्रथम दृष्ट्या मामला– पत्रावली में वर्णित आराजियात में उभयपक्ष मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों के खातेदारान दर्ज है तथा विवादित आराजियात में उभयपक्ष का हिस्सा मुताबिक जमाबंदी साबित है। चूंकि इस स्टेज पर आराजियात का विक्रय अन्तरण होता है या मौका स्थिति का परिवर्तन होता है या एक दूसरे के कब्जे–काश्त में दखलअंदाजी होती है तो वाद बहुलता होगी तथा पक्षकारान को भी अत्यधिक असुविधा होगी। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला उभयपक्षों के हक में बनता है।

(B) सुविधा का संतुलन– उक्त वर्णित आराजियात में उभयपक्ष अपनी–अपनी आराजियात में खातेदार होकर काबिज है। अतः सुविधा का संतुलन उभयपक्ष में है।

(C) अपूरणीय क्षति– यदि विवादित आराजियात के मौके में परिवर्तन होता है तो इससे वाद बहुलता बढेगी तथा अपूरणीय क्षति उभयपक्षों को होगी। अतः अपूरणीय क्षति भी उभयपक्ष को ही होनी है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उभयपक्ष को राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थीगण/वादीगण का आवेदन अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि मूल वाद सं. 50/2017 उनवान जीवणी देवी आदि बनाम भागीरथ आदि के निर्णय तक वादग्रस्त आराजियात खसरा सं. 212 रकबा 7.8300 हेक्टेयर, खसरा सं. 213 रकबा 1.7900 हेक्टेयर, खसरा सं. 219 रकबा 1.2100 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 10.8300 हेक्टेयर वाके ग्राम नागवा तहसील धोद जिला सीकर के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। यह आदेश उक्त अंतरिम स्थगन प्रचलित रास्तों/कटान के रास्तों, जल/विद्युत संबंध, राको रोड़ा के तहत बैंक कार्यवाही आदि पर लागू नहीं होगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे।

यह निर्णय आज दिनांक 02.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी,
धोद जिला सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला–सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2026.01.06 12:12:13 IST
Reason: SelfAttested